न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 13/2018

अपीलांट

1. मूर्ति मंदिर श्री गणेश जरिये पुजारी गोगाराम पुत्र शैतानराम जाति मेघवाल, निवासी ग्राम रास, तहसील जैतारण जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. चौथाराम पुत्र बंशी
2. बाबु पुत्र बंशी
3. दीपा पुत्र बंशी
4. प्रभु पुत्र बंशी
5. कैलाश पुत्र बंशी
6. तारू पुत्र बंशी
7. भंवरू पत्नी बंशी तमाम जातियान मेहतर निवासीगण ग्राम रास, तहसील जैतारण जिला पाली।
8. अब्दुल करीम पुत्र जमालुदीन जाति कुरैशी निवासी ग्राम रास तहसील जैतारण जिला पाली।
9. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री श्याम सिंह सोलंकी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 08
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 09 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 27.06.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 197/2017 में पारित निर्णय दिनांक 05.02.2018 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम रास तहसील

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जैतारण के खसरा नंबर 288 रकबा 07 बीघा चक प्रथम के संबध में प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जो कि विधिसम्मत है। वादगस्त आराजी खसरा संख्या 288 राजस्व रेकर्ड में मंदिर मूर्ति गणेशजी के नाम दर्ज है। राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्टगण का नाम दर्ज नहीं है, एवं न ही रेस्पोडेन्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारी घोषण का वाद प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त आराजी दिनांक 18.05.1982 को बंशी के पक्ष में पंजीयन बेचान हुआ था या नही व शैतानराम द्वारा अंगुष्ठ निशान कर अपीलांधीन कृषि भूमि का बेचान किया या नही ? म्यूटेशन संख्या 1858 वैध है या नहीं ? सेटलमेंट में शैतानराम की एन्ट्री वैध थी अथवा नहीं ? बंशी का नाम राजस्व रेकर्ड में चढा अथवा नहीं ? व इनका नाम राजस्व रेकर्ड से कब हटा है। उक्त समस्त बिन्दुओ का निस्तारण तनकीयात कायम कर साक्ष्य से तय होने योग्य है। इसके अतिरिक्त सिविल न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.11.2017 को जरिये विड्रोल वाद मे रेस्पोडेन्ट के हक व अधिकार तय नहीं हुये है, न ही साक्ष्य रेकर्ड पर आई है एवं न ही उक्त वाद का गुणवागुण पर निर्णय हुआ है। वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट से मंदिर की खुदकाश्त की थी, आज भी मंदिर श्री गणेश जी के नाम की भूमि है। मूर्ति मंदिर की रक्षा न्यायालय स्वंय करता है , मंदिर मूर्ति नाबालिग है व नाबालिग भूमि की रक्षा करने का दायित्व स्वंय न्यायालय का भी है। यदि कोई प्रतिनिधि नाबालिग की भूमि की हिफाजत नहीं करता है तो न्यायमित्र की नियुक्ति का भी प्रावधान दे रखा है। वादग्रस्त आराजी के संबध में अगर कोई बेंचान रेस्पोडेन्ट के पक्ष मे है तो यह प्रारम्भ से शून्य है, अस्तित्व रहित है, नाबलिग मूर्ति श्रीगणेश जी इससे बाध्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो को दरकिनार करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम रास तहसील जैतारण के खसरा नंबर 288 रकबा 07 बीघा चक प्रथम के संबध में प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। अपीलांट मूर्ति मंदिर गणेश जी का कोई पुजारी नहीं है। अपीलांट गोगाराम लालची प्रवृति का व्यक्ति है केवल मात्र रेस्पोडेन्टगण से पैसे हडपने हेतु आधारहीन वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अपीलांट ने उक्त वादग्रस्त आराजी के संबध में एक सिविल वाद बाबत मंसूखी बेंचान दिनांक 18.05.1982 एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं कब्जा बेदखली का रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध माननीय सिविल न्यायालय में दिनांक 01.03.2017 को प्रस्तुत किया जो सिविल वाद संख्या 12/2017 था। उक्त सिविल वाद जरिये विड्रोल दिनांक 06.11.2017 को खारिज हो चुका है। इसके अतिरिक्त अपीलांट ने कोई भी ऐसा दस्तावेज हाजा एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जिससे वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आराजी पर अपीलांट का कब्जा साबित होता हो। इसके विपरित रेस्पोडेन्टगण का अपने पिता के समय से वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त है। वादग्रस्त आराजी के संबध में अपीलांट द्वारा सिविल कोर्ट में प्रस्तुत वाद में रेस्पोडेन्टगण से कब्जा प्राप्ति का अनुतोष चाहा, जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा काश्त नहीं है। एवं कब्जे के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। धीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम रास तहसील जैतारण के खसरा नंबर 288 रकबा 07 बीघा चक प्रथम के संबध में प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद सत्य है कि वादग्रस्त आराजी मंदिर के नाम दर्ज है। किन्तु अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी के संबध में अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा पूर्व में स्थाई निषेधाज्ञा एवं कब्जा बेदखली का रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध माननीय सिविल न्यायालय में दिनांक 01.03.2017 को वाद प्रस्तुत किया, जिसे अपीलांट द्वारा विड्रोल किया गया। जिससे यह तो स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं है। अब हस्तगत प्रकरण में विधिक कानूनी बिन्दु यह उद्भूत होता है कि क्या कब्जे के अभाव में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय है अथवा नहीं ? इस संबध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **फैली व अन्य बनाम राजस्व मंडल राजस्थान व अन्य** में यह प्रतिपादित किया है कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, धारा 188– कब्जे के अभाव में स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद खारिज किया–निचले न्यायालयो ने निर्णीत किया कि प्रतिवादीगण प्रश्नगत भूमि कब्जे मे थे–एकल न्यायाधीश ने भी याचिका खारिज की और सविधान के अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत हस्तक्षेप से इंकार किया–निर्णीत, समवर्ती निष्कर्षों को यथावत रखने में त्रुटि कारित नहीं की है।" उक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। किन्तु वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट अपना कब्जा साबित करने में हाजा न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष असफल रहे है। एंव कब्जे के अभाव में धारा 188 का दावा पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 197/2017 में पारित निर्णय दिनांक 05.02.2018 यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 27.06.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली